



Ref: ISD/20-21/247

December 03, 2020

The Deputy General Manager, Corporate Relationships Dept. BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. Scrip Code-532 477	The Deputy General Manager, Listing Dept. National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ
---	---

Dear Madam /Sir,

Subject: Notice for Extraordinary General Meeting of the shareholders to be held on Wednesday, 30th December, 2020

Ref: Our earlier letter no. ISD/20-21/235 dated 25th November, 2020

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the Notice of Extraordinary General Meeting ('EGM') to be held on Wednesday, 30th December, 2020 at 11.00 am (IST) through Video Conferencing ('VC') or Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to obtain shareholders' approval for raising of equity capital upto Rs 6,800 crore (including premium, if any) during the FY 2020-21 by way of various modes such as Public Issue (i.e. Follow-on Public Offer) and/or Rights Issue and/or Private Placements, including Qualified Institutions Placement and/or Preferential Allotment to the Government of India and/or other institutions and/or through any other mode(s) subject to approval of the Government of India and other regulatory authorities.

The schedule of EGM is set out below:

Particulars	Date
Cut-Off Date for E-Voting for Agenda Item	23 rd December, 2020
Commencement of E-Voting	27 th December, 2020 (9:00 am IST)
End of E-voting	29 th December, 2020 (5:00 pm IST)
Date & Time of EGM	30 th December, 2020 at 11.00 AM (IST) through VC/OAVM

The said EGM Notice has also been made available on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in.

Thanking you.

Yours faithfully,


 (Mangesh Mandrekar)
 Company Secretary

Encl.: As above



भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking



असाधारण महासभा की सूचना

बुधवार, दिनांक 30 दिसंबर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

WEDNESDAY, 30TH DECEMBER, 2020 AT 11.00 AM (IST)

केन्द्रीय कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021.

Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021.

www.unionbankofindia.co.in | [@unionbankofindia](https://www.facebook.com/unionbankofindia) [@UnionBankTweets](https://twitter.com/UnionBankTweets) [UnionBankInsta](https://www.instagram.com/UnionBankInsta) [YouTube UnionBankofIndiaUtube](https://www.youtube.com/UnionBankofIndiaUtube) [@unionbankofindia](https://www.linkedin.com/company/unionbankofindia)

असाधारण महासभा की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियम 56 के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक') के शेयरधारकों की असाधारण महासभा बैठक (ईजीएम) बुधवार, दिनांक 30 दिसंबर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई (डीमंड बैठक का स्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओवीएम) से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

कार्यसूची संख्या 1 :

एफपीओ / राइट्स / क्यूआईपी / अधिमान आवंटन आदि के माध्यम से पूंजी का अर्जन

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना.

संकल्प किया कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 यथा समय-समय पर संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई'), भारत सरकार ('जीओआई'), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ('सेबी') और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्ष तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम 2018 ('आईसीडीआर विनियम') यथा अद्यतन संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश यदि कोई हों; बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना/ परिपत्र एवं स्पष्टीकरण तथा समय-समय पर लागू अन्य नियमों एवं सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम 2015 ('लिस्टिंग विनियम') संबंधित प्राधिकरणों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यक्ष तथा बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद 'बोर्ड' कहा जायगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को प्रदान की जाए एवं एतद्वारा प्रदान की जाती है कि प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत या भारत से बाहर ₹6,800 करोड़ (रुपये छः हजार आठ सौ करोड़ मात्र) तक के इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) जो ₹6,406.84 करोड़ (रुपये छः हजार चार सौ छः करोड़ एवं चौरासी लाख मात्र) की वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी सहित ₹10,000 करोड़ (रुपये दस हजार करोड़ मात्र), जो बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) अथवा भविष्य में अधिनियम के अधीन संशोधन (यदि कोई हो), के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा इस प्रकार की किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे बाजार मूल्य से छूट पर अथवा प्रीमियम पर तथा एक या अधिक अवसरों पर, एक अथवा अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ('एनआरआई'), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, निवेश संस्थाओं, समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी), विदेशी संस्थागत निवेशकों ('एफआईआई'), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंडों, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु अधिकृत हैं, को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आवंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए.

पुनः संकल्प किया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम (यथा अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/ या अधिकार निर्गम और/ या निजी स्थापन, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन, अधि आवंटन विकल्प सहित या रहित के जरिये होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थापन या आबंटन, अधिनियम आईसीडीआर विनियम, लिस्टिंग विनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

पुनः संकल्प किया कि बोर्ड को अधिकार होगा कि वह निर्गम ऐसे मूल्य या मूल्यों पर इस प्रकार से और यदि आवश्यक हो, तो लीड मैनेजरों और/ अंडरराइटर्स और/ या अन्य परामर्शदाताओं या अन्यथा के परामर्श से अपने पूर्ण विवेकानुसार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर तथा आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और लागू अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अधीन ऐसे मूल्य या मूल्यों पर जारी करे, जो आईसीडीआर विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो; चाहे ऐसे निवेशक (गण) बैंक के विद्यमान शेयरधारक हों या नहीं."

पुनः संकल्प किया कि संबंधित शेयर बाजार के साथ किए गए लिस्टिंग विनियमों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियम, 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में "सम्यक प्राधिकारी" कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरी (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अध्यक्ष तथा बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय-समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VI में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में उल्लेख है, के अनुसार आईसीडीआर विनियमों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव,

निर्गम एवं आवंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 5 1% से कम न हो."

"पुनः संकल्प किया कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में:

- क) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा. ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.
- ख) आईसीडीआर विनियमन के विनियम 176(1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, विनियमों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.
- ग) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी."

"पुनः संकल्प किया कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं सूचीयन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय उनके द्वारा वांछित संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड के पास निहित होगा."

"पुनः संकल्प किया कि एनआरआई/ एफआईआई और/ या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन अधिनियम द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अध्वधीन होगा."

"पुनः संकल्प किया कि जारी किये जाने वाले नए इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बटुक) विनियमन 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अध्वधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे."

"पुनः संकल्प किया कि इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम या आबंटन करने के लिए बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आवंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिए इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है."

"पुनः संकल्प किया कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी/ प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के लिए बुक रनर, लीड मैनेजर, बैंकर्स, अंडरराइटर, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षक तथा अन्य ऐसी एजेंसियों, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है."

"पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अंडरराइटरों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्प्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/ या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है."

"पुनः संकल्प किया कि इनमें से ऐसे शेयर/ प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है."

"पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है."

"पुनः संकल्प किया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/ निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा किया जाता है."

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Mangesh Mandekar

(मंगेश मांदेकर)
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई

दिनांक : 03.12.2020

नोट्स :

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कारोबार कार्यसूची क्रमांक 1 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से ईजीएम का संचालन

ए) कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी साधारण परिपत्र क्र. 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020 एवं 5 मई, 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी परिपत्र) द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की ईजीएम का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जाए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। ईजीएम के लिए विचारणीय स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा। चूंकि कार्यसूची मंद को टाला नहीं जा सकता है। अतः वीसीओएवीएम के जरिए बैंक ईजीएम का आयोजन करें।

बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है।

सी) केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में सहभागिता एवं ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी।

डी) एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के अनुसार, ईजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट : <https://emeetings.kfintech.com> पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ई) चूंकि ईजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस कारण रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगी, जैसा कि सचिवीय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है।

एफ) सभी सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस ईजीएम में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि ईजीएम शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात् **10.45 पूर्वाह्न** से खुली रहेगी और बैंक, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित ईजीएम में शामिल होने के लिए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकती है। वीसी/ओएवीएम में जुड़ने के लिए नोटिस पैरा क्र. 13(VII)(ए), (बी) एवं (सी) में वर्णित विवरणों के साथ : <https://emeetings.kfintech.com> में कृपया जुड़ें। बैठक पूर्व या बैठक के दौरान तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 345 400 1 पर संपर्क कर सकते हैं।

जी) सदस्य नोट कर सकते हैं कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की सहभागिता की अनुमति होगी। बड़े शेयरधारकों (अर्थात् ऐसे शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखा-परीक्षक आदि एमसीए के परिपत्र के अनुसार पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त के कारण बिना किसी बाधा के ईजीएम में शामिल हो सकते हैं। संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एच) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित ईजीएम में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गणना कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी।

आई) चूंकि ईजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से संचालित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त की जा रही है और एमसीए परिपत्रों के अनुरूप बैंक द्वारा किसी भी परोक्षी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जे) ईजीएम से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अनिवार्य रूप से **सोमवार, दिनांक 28 दिसंबर, 2020 को 5 बजे** तक या उससे पहले किया जा सकता है। स्पीकर के रूप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन विवरणों का उपयोग करके : <https://emeetings.kfintech.com> पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ईजीएम के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें। बैंक स्पीकर सत्र को समाप्त या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा क्र. 11 के अनुसार अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल एड्रेस से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/ फोलिओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने संबंधित प्रश्न इत्यादि investorservices@unionbankofindia.com पर भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर दिया जाएगा। हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रूप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं।

के) वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिक : <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के बाद ईजीएम में भाग ले सकते हैं।

एल) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कट ऑफ तिथि **बुधवार, 23 दिसंबर, 2020** से पहले बैंक विवरण, ईमेल एड्रेस, पते में

बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स डाटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान ब्यौरे पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा. इसलिए, शेयर धारित सदस्य ईजीएम की सूचना प्रेषित करने हेतु उनके रिकॉर्ड को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी में शीघ्रतिथी अद्यतित करेंगे.

3. परोक्षी की नियुक्ति

एमसीए के परिपत्रों के क्रम में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अतः परोक्षी के नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी. तद्विपरीत, ईजीएम के लिए यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 70 (vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी के नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. इस कारण, परोक्षी के नियुक्ति के संबंध में लिखतों एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है. तथापि, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा संचालित ईजीएम में सहभागिता तथा ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है.

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्यापित प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को **investorservices@unionbankofindia.com** पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **गुरुवार, 24 दिसंबर, 2020 को कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

5. अदावाकृत / अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश पत्र का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश पत्र प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवा प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जायेगा.

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है. बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है. वित्त वर्ष 2013-14 से अदत्त लाभांश के ब्यौरे हेतु संबंधित शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा के लिंक: <https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomList.aspx> का अवलोकन कर सकते हैं. अदावाकृत लाभांश की प्रक्रिया तथा अपेक्षित फॉर्म भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध हैं.

6. पता/ बैंक ब्यौरा/ बैंक खाता मैडेट में परिवर्तन

ए) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा. जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके. बैंक अथवा इसके शेयर अंतरण एजेंट इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैडेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. ऐसे परिवर्तनों से शेयरधारक के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अवगत कराया जाए.

बी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वे वैध दस्तावेजी सबूत के साथ हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन प्रेषित करें एवं यदि अपने बैंक खाते विवरण में परिवर्तन करना चाहते हैं तो रद्द किए गए चेक के साथ हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन सूचना बैंक के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को निम्न पते पर प्रस्तुत करें:

डाटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लि.,

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया

प्लॉट संख्या. बी 5, पार्ट बी,

एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093

दूरभाष संख्या.: 022 - 66712001-6

सी) बैंक खाते का ब्यौरा प्रदान किए जाने वाला प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

डी) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के आरटीए को.

ई) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के आरटीए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रूप में शेयर रखने

वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक/ डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

7. स्थिति में परिवर्तन की रिकार्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- डाटा मैटिक्स बिजनेस सोल्यूशंस लि. को तत्काल सूचित करें:

ए. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन।

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरूप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले न दिया गया हो।

8. सूचना का प्रेषण

कोविड- 19 महामारी और लॉक डाउन के प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, ईजीएम की भौतिक सूचना की प्रतियाँ नहीं दी जाएंगी और इन्हें केवल उन्हीं शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा जिन्होंने बैंक या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कराई है। ईजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में उपलब्ध हैं वे अपने ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को तथा जिन शेयरधारकों के शेयर डिमैट रूप में उपलब्ध हैं वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को संपर्क करेंगे।

9. ई-वोटिंग हेतु कट ऑफ तारीख

संशोधित कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन) 2014 के नियम 20 के अनुसार, कार्यसूची मद संख्या 1 के संबंध में शेयरधारकों को वोट देने का अधिकार **बुधवार, 23 दिसंबर, 2020** से माना जाएगा।

10. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत** से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बँड) विनियमन, 1998 के विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो **कट ऑफ तारीख अर्थात् बुधवार, 23 दिसंबर, 2020** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बँड) विनियम 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जाएगा। इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा।

11. कार्यसूची मद की जानकारी

जो शेयरधारक कार्यसूची मद पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस हेतु बैंक को ई-मेल **investorservices@unionbankofindia.com**, को लिखें, जो ईजीएम की तारीख से अनिवार्य रूप से **शुक्रवार दिनांक 25 दिसंबर, 2020 को सायं 5 बजे** तक प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन द्वारा वह सूचना तैयार रखी जा सके। जवाब केवल ईजीएम में ही दिये जाएंगे। कृपया यह ध्यान रखें कि सदस्यों के प्रश्नों के जवाब केवल तब ही दिया जाएगा यदि वे कट-ऑफ तिथि अर्थात् **बुधवार दिनांक 23 दिसंबर, 2020** तक शेयर धारिता को जारी रखते हैं।

इसके अलावा, कट-ऑफ तिथि को शेयर रखने वाले शेयरधारक : **https://emeetings.kfintech.com** वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और संबंधित आपत्तियाँ/मत/प्रश्नों को पोस्ट करने के लिए **“post your queries here”** पर क्लिक कर सकते हैं। ई-मतदान अवधि के दौरान विंडो को सक्रिय किया जाएगा और **सोमवार दिनांक 28 दिसंबर, 2020 को शाम 5 बजे** तक बंद कर दिया जाएगा।

12. भौतिक धारण का अमूर्तीकरण

सेबी ने प्रतिभूति बाजार के प्रत्येक भागीदार को स्थायी खाता संख्या (पैन) एवं बैंक विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। सदस्य जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखते हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपना पैन का विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दें। भौतिक रूप से शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक के आरटीए को अपना पैन का विवरण प्रस्तुत करें। सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप से केवल अमूर्तीकरण रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। भौतिक रूप से शेयरों को रखने वाले सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि अपने रखे हुए भौतिक शेयरों से संबद्ध सभी जोखिमों को दूर करने के लिए अमूर्तीकरण रूप में बदलने पर विचार किया जाए और पोर्टफोलियों प्रबंधन की सुविधा के लिए वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें, जहां वे संबंधित डीमैट खाते को संचालित करते हैं।

13. सूचना में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:

I. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा महासभा पर जारी सचिवीय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्र के साथ लिस्टिंग विनियम के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि ईजीएम में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और ईजीएम में शामिल सदस्यों को ईजीएम बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है।

- II. वोटिंग की सुविधा ईजीएम में रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- III. जिन शेयरधारकों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे।
- IV. ईजीएम से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') का प्रयोग कर शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा एवं ईजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जाएगी।
- V. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **रविवार दिनांक 27 दिसंबर, 2020 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारम्भ होकर मंगलवार, दिनांक 29 दिसंबर, 2020 (संध्या 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी। बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, वोटिंग के लिए **कट ऑफ तारीख बुधवार, 23 दिसंबर, 2020** को भौतिक या डि-मटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, कार्यसूची के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं। इस अवधि के बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बन्द कर दिया जाएगा। शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- VI. ऐसा व्यक्ति जो ईजीएम की सूचना भेज कर बैंक का सदस्य बनता है एवं **कट ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 23 दिसंबर, 2020** को शेयर धारित करता है, वह बैंक की ई-मेल **investorservices@unionbankofindia.com** पर शेयरधारक के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर या केफिनटेक **evoting@kfintech.com** को रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले **अर्थात मंगलवार 29 दिसंबर, 2020 सायं 5.00 बजे से पहले** लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- VII. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:
 - ए) इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रेस बार में : **https://evoting.kfintech.com** यूआरएल टाइप करें।
 - बी) आपके ई-मेल आईडी में उल्लिखित लॉगिन विवरण अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी क्लिक आईडी ही आपका **यूजर आईडी** होगा। तथापि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण कर रखा है तो वोट देने के लिए आप अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
 - सी) उचित तरीके से विवरण भरने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
 - डी) आप पासवर्ड चेंज मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरक्टर होने जरूरी है जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@, #, \$, आदि) होने चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
 - ई) आपको नए विवरण के साथ पुनः लॉगिन करना पड़ेगा।
 - एफ) सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको **EVENT** अर्थात यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा।
 - जी) वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास कितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और 'FOR' / 'AGAINST' पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'FOR' एवं आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक 'FOR' और/या 'AGAINST' में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'ABSTAIN' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी एक शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी।
 - एच) ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/डीमैट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं।
 - आई) उचित विकल्प का चयन कर आप अपना वोट दें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि के लिए 'OK' बटन पर क्लिक करें, अन्यथा आशोधन के लिए 'CANCEL' बटन पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि कर देने पर, इसके बाद आपको अपने वोट में किसी प्रकार के आशोधन की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग अवधि के दौरान, आपने संकल्प के लिए वोट किया है कि इसकी पुष्टि होने तक आप अनेकों बार लॉगिन कर सकते हैं।
 - जे) कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड संकल्प / प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेल (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी, जो **info@jmja.in** ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, की अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी इसे अपलोड करें। उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम 'EVEN No.....' के प्रारूप में रखें।
- VIII. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, **https://evoting.kfintech.com** पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 345 400 1 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करें।
- IX. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या **evoting@kfintech.com** पर ई-मेल भेजे या 1800 345 400 1 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
- X. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख अर्थात 23 दिसंबर, 2020 को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा।

- XI.** संयुक्त धारक के मामले में शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/ यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा। तदनुसार, प्रथम धारक को भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से किया जाएगा। प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है।
- XII.** केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए यह नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए।
- XIII.** रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पेशेवर कंपनी सचिव, मेसर्स जेएमजेए एंड एसोसिएट्स एलएलपी, को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।
- XIV.** ईजीएम शुरू होने के बाद अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- XV.** संवीक्षक द्वारा ईजीएम में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम 48 घंटों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी।

14. वोटिंग के परिणाम

ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा केफिनटेक की वेबसाइट: <https://evoting.kfintech.com> पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाएंगे।

15. बैठक में ई वोटिंग के लिए संवीक्षक

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि कार्यसूची के लिए मेसर्स जेएमजेए एंड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव, जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। वे बैठक में अन्य शेयरधारक के ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे।

16. बैठक का परिणाम

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में ईजीएम की तिथि से संकल्प के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अध्यक्षीन संकल्प को पारित माना जाएगा।

17. रिकॉर्ड किए गए ट्रांस्क्रिप्ट / बैठक की कार्यवाही

वीसी/ओवीएम के माध्यम से हुई ईजीएम की कार्यवाही बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in के निवेशक संबंध खंड के अंतर्गत यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

व्याख्यात्मक विवरण

1. एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी इत्यादि के द्वारा पूंजी का निर्गम:

कारोबार आस्तियों की बढ़ोतरी हेतु बासल III दिशानिर्देशों के अधीन न्यूनतम पूंजी एवं नियंत्रित अनुपात अपेक्षाओं की प्राप्ति हेतु विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने **₹6,800 करोड़ (रुपये छः हजार आठ सौ करोड़ मात्र)** की इक्विटी पूंजी जुटाने का फैसला किया है। भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किए जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या पात्र संस्थागत नियोजन सहित निजी नियोजन और/या भारत सरकार को अधिमानित आबंटन तथा/या अन्य नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

यदि क्यूआईपी के द्वारा प्रतिभूतियों को जारी किया जाना है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप किया जाएगा।

वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उचित समय, माध्यम, प्रीमियम एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी कर सकें।

विशेष संकल्प के अनुरूप प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को लागू सभी विधिक प्रावधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा।

आपके निदेशक गण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को शेयरधारिता तक, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प (पों) से संबद्ध और इच्छुक माना जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(मंगेश मांद्रेकर)
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई

दिनांक : 03.12.2020

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the Extraordinary General Meeting (“EGM”) of the Shareholders of Union Bank of India (“Bank”) will be held on **Wednesday, 30th December, 2020 at 11.00 am (IST)** at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through **Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)** facility to transact the following business:

Agenda No. 1

To raise Capital through FPO/Rights/QIP/Preferential allotment etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following resolution as a **Special Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“Act”), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (“Scheme”) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“ICDR Regulations”) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”) as amended from time to time, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **“the Board”** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto **₹6,800 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred Crore Only)** (including premium, if any) which together with the existing Paid-up Equity share capital of **₹6,406.84 crore (Rupees Six Thousand Four Hundred Six and Eighty Four Crore Only)** will be within **₹10,000 Crore (Rupees Ten Thousand Crore Only)** being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Act to the extent of enhanced Authorised Capital as per the amendment (if any) that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more branches, including to one or more of the shareholders, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutions Placement with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations, Listing Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion - Ministry of Commerce (DIPP), Ministry of Finance and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

- a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.”
- b) The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the ICDR Regulations.
- c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Committee of Directors for Raising of Capital Funds or the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : 03.12.2020

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the agenda no. 1 of the meeting is annexed hereto.

2. HOLDING OF EGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

- a) In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norm to be followed and pursuant to clarificatory General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the EGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the EGM shall be the Central Office of the Bank situated at Mumbai. The Agenda item being unavoidable, be transacted at the EGM of the Bank through VC/OAVM.
- b) The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- c) KFin Technologies Private Limited (KFintech) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the EGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the EGM.
- d) In line with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the EGM will be made available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and also on the website of KFintech at <https://emeetings.kfintech.com>.
- e) As the EGM will be held through VC/OAVM Facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2.
- f) Members may participate in the EGM through VC/OAVM facility by following the procedure as mentioned below which shall be kept open for the Members from **10.45 AM (IST)** i.e. 15 minutes before the time scheduled to start the EGM and the Bank may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled time to start the EGM. To join the VC/OAVM please visit <https://emeetings.kfintech.com> with the credentials as mentioned in the notice para no. 13(VII)(a), (b) & (c). The helpline toll free no. 1800 345 4001 may be used for assistance with the technology before or during the meeting.
- g) Members may note that the VC/OAVM Facility with two-way conferencing and also pose questions concurrently, provided by KFintech allows participation of atleast 1,000 Members on a first-come-first-served basis. The large shareholders (i.e. shareholders holding 2% or more shareholding), promoter, institutional investors, directors, key managerial personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, auditors, etc. can attend the EGM without any restriction on account of first-come- first-served principle as per the MCA Circulars. Institutional Investors who are Members of the Bank, are encouraged to attend and vote in the EGM through VC/OAVM Facility.
- h) Attendance of the Members participating in the EGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.
- i) Since the EGM is being held through VC/OAVM the physical attendance of members is dispensed with and no proxies would be accepted by the Bank pursuant to MCA Circulars.
- j) Speaker shareholder registration before EGM may also be availed during the remote e-voting period latest by **5 PM on Monday, 28th December, 2020**. Shareholders who wish to register as speaker are requested to visit <https://emeetings.kfintech.com> by using e-voting login credentials and click speaker registration during this period. Shareholders are requested to wait for their turn to be called by the Chairman of the meeting during the Question Answer session and coordination during the EGM. The Bank may have to dispense or curtail the speaker session; hence, shareholders are encouraged to send their relevant questions etc. in advance as provided in Notice Para No. 11 from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number /folio number and mobile number, on the Bank's email address investorservices@unionbankofindia.com. Such questions by the Members shall be taken up during the meeting and replied by the Bank suitably. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same.
- k) The Shareholders who have not registered their email id can participate in the EGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink : <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx>
- l) Members holding shares in physical form are requested to furnish bank details, email address, change of address etc. to the Registrars and Transfer Agent M/s Datamatics Business Solutions Limited before the cut-off date **Wednesday, 23rd December, 2020**, in order to take note of the same. In respect of members holding shares in electronic mode, the details as would be furnished by the Depositories as at the close of the aforesaid date will be considered by the Bank. Hence, members holding share shall update their records at the earliest to enable us to send the Notice of EGM to their registered email id.

3. APPOINTMENT OF PROXY

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 will not be available for the EGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith. However, representatives of the Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the EGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the EGM.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the investorservices@unionbankofindia.com, not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on **Thursday, 24th December, 2020**.

5. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2012-13 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2013-14, the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: <https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomList.aspx> Procedure to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link.

6. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

- The Bank for payment of dividend uses the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant ("DP") so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the shareholder.
- Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) at the following address:

Datamatics Business Solutions Ltd.,
Unit: Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B,
MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East),
Mumbai - 400 093.
Tel. No.: 022 – 66712001-6

- The format for providing Bank account details is available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.
- Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.
- Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

7. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – Datamatics Business Solutions Ltd., immediately of:

- a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

8. DISPATCH OF NOTICE

Considering COVID-19 pandemic and lock down restrictions, copies of the Notice of EGM in physical form shall not be dispatched and the same shall be sent through e-mail only to those Shareholders who have registered their Email IDs with the Bank or with Depository Participant. The Notice of EGM will also be hosted on the websites of the Bank and the stock exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or Depository Participant in case of shares in demat form, for updation of email id.

9. CUT OFF DATE FOR E-VOTING

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, voting rights of the shareholders in respect of agenda item no. 1 shall be reckoned as on **Wednesday, 23rd December, 2020**.

10. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Wednesday, 23rd December, 2020** shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is also only eligible vote.

11. INFORMATION ON AGENDA ITEM

Shareholders seeking any information on the agenda item of the EGM are requested to write to the Bank by email at **investorservices@unionbankofindia.com**, which should reach the Bank latest by **5 PM on 25th December, 2020** so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only during the EGM. Please note that members questions will be answered only if they continue to hold shares as on cut-off date i.e. **23rd December, 2020**.

Alternatively, Shareholders holding shares as on cut-off date may also visit **https://emeetings.kfintech.com** and click on **“post your queries here”** to post the relevant queries/view/questions. The window shall be activated during remote e-voting period and shall be closed by **5 pm on 28th December, 2020**.

12. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

SEBI has mandated submission of permanent account number (PAN) and bank details by every participant in the securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN details to their Depository Participants. Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN details to the Bank's RTA. Securities of listed entities would be transferred in dematerialised form only, effective from **1st April, 2019**. In view of the same members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account.

13. Business set out in the Notice will be transacted through electronic voting system and the Bank is providing facility for voting by electronic means:

- I. Pursuant to the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (“ICSI”) and Regulation 44 of Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circular, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted during the EGM and facility for those Members participating in the EGM to cast vote through e-voting system during the EGM.
- II. The facility for voting shall also be made available during the EGM and the shareholders participating in the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting through e-voting.
- III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also participate in the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.

- IV. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system ("remote e-voting") during the prescribed time prior to EGM and voting during EGM will be provided by service provider KFintech.
- V. The remote e-voting period commences on **Sunday, 27th December, 2020 (9:00 am IST) and ends on Tuesday, 29th December, 2020 (5:00 pm IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **Cut-Off Date of Wednesday, 23rd December, 2020** may cast their vote by remote e-voting for agenda. The remote e-voting module shall be disabled by KFintech for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- VI. Any person who becomes a member of the Bank after sending notice of EGM and holding shares as on **cut-off date i.e. Wednesday, 23rd December, 2020**, may obtain the User ID and Password in the manner mentioned below by sending email to Bank at **investorservices@unionbankofindia.com**, along with authentic proof of shareholder or to write to KFintech at **evoting@kfintech.com** sufficiently before closing of the remote e-voting i.e. **before 5.00 pm on 29th December, 2020**.
- VII. The process and the manner for remote e-voting are as under:
- Launch internet browser and type the URL: **https://evoting.kfintech.com** in the address bar.
 - Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No./DP ID Client ID will be your **User ID**. However, if you are already registered with KFintech for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.
 - After entering the details appropriately, click on LOGIN.
 - You will reach the password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@, #, \$, etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
 - You need to login again with the new credentials.
 - On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Union Bank of India.
 - On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
 - Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.
 - Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.
 - Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at **info@jmja.in** and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'EVEN No.....'
- VIII. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **https://evoting.kfintech.com** under help section or call on **1800 345 4001 (toll free)**.
- IX. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to KFintech or send an email to **evoting@kfintech.com** or call **1800 345 4001 (Toll Free)**.
- X. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. **Wednesday, 23rd December, 2020** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the venue.
- XI. In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of KFintech, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.
- XII. Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.

- XIII. M/s JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- XIV. The Chairman of the Meeting shall, after commencement of the EGM, allow voting for all those shareholders who are participating in the EGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.
- XV. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the EGM, but not later than 48 hours of the conclusion of the EGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting or any other person authorised by him in writing.

14. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of remote e-voting and e-voting during the EGM alongwith the consolidated report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of KFinTech i.e. <https://evoting.kfintech.com>. The voting results and consolidated scrutinizer's report shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE & NSE.

15. SCRUTINIZERS FOR E-VOTING AT MEETING

As already indicated for e-voting, M/s JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of Agenda. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting conducted at the Meeting.

16. OUTCOME OF THE MEETING

The resolution shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of EGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolutions.

17. RECORDED TRANSCRIPT/PROCEEDING OF THE MEETING

Proceeding of EGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in under Investor Relations section as soon as possible.

EXPLANATORY STATEMENT

1. ISSUE OF CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS/QIP ETC.

In order to meet the minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the Basel III guidelines for expansion of business assets and based on the estimated growth, your Directors have decided to raise Equity Share Capital up to **₹6,800 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred Crore Only)**. The Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placement and/or Preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the special resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

Mangesh Mandrekar

(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : 03.12.2020